जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनाँक 15.08.2026**

थाना हल्दौर पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को 18 पाउच देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभि0 प्रमोद कुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम हसुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 18 पाउच देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम प्रमोद उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम व पताः-

1. प्रमोद कुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम हसुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

18 पाउच देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवीप्रसाद गौतम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 730 शुभम त्यागी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. का0 262 अंकुर जावला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना शिवालाकलां दिनांक 15.08.2026

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 106/26 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/ 3(5)/61/191(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.08.2026 को वादी द्वारा थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी गई कि ग्राम धारुपुर से बहादरपुर रोड पर 04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से चाकू व डन्डो से हमला कर मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 106/26 धारा 109(1)/115(2)/351(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण (1) आयुष पुत्र लखपत सिहं निवासी ग्राम लोधीपुर मिलक थाना शिवाला कला जिला बिजनौर (2) दीपांशु पुत्र राजवीर निवासी ग्राम धारूपुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.08.2026 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में 02 अभियुक्तों आयुष व दीपांशु उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तो की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दो डण्डे बरामद किये गये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 3(5)/61/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

(1) आयुष पुत्र लखपत सिहं निवासी ग्राम लोधीपुर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर

(2) दीपांशु पुत्र राजवीर निवासी ग्राम धारूपुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त दो डण्डे

पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री रवि टैगोर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2- का0 351 सहदेव थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3- रि0का0 934 आकाश थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना बढ़ापुर **दिनाँकः-15.08.2026**

थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-80/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तो को चोरी किये गए तार सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-17.05.2026 को थाना बढ़ापुर पर श्री नूतन सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम बैनीपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 40 से 50 मोटर के केबिल काटकर चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0-80/26 धारा 303(2),324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचना के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुये अभियुक्तगण 1.रिजवान पुत्र फैज मोहम्मद उर्फ फेजू निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर 2.फरीद पुत्र फारूख निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर व 3.समसुद्दीन पुत्र फैज मौहम्मद निवासी कस्बा रामराज थाना बहसूमा जनपद मेरठ को चोरी किये गए केबल के तार (तांबा) व घटना मे प्रयुक्त 02 प्लास सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे रात्रि में जंगल स्थित किसानों के ट्यूबवेलों से प्लास की मदद से केबल काटकर तार निकालते थे तथा केबल जलाकर तांबे के तार अलग कर बेच देते थे। बरामद तांबे के तार उनके द्वारा मई माह में आसपास के ट्यूबवेलों से काटे गए थे, जिन्हें पुलिस से बचने के लिए झाड़ियों में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.रिजवान पुत्र फैज मोहम्मद उर्फ फेजू नि0 ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

2.फरीद पुत्र फारूख नि0 ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.समसुद्दीन पुत्र फैज मौहम्मद नि0 कस्बा रामराज थाना बहसूमा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण

1.चोरी केबल तार में से ताँबे के तार (वजन करीब 2.5 कि0ग्रा0)

2.तार काटने वाले प्लास-02

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रिजवान उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-80/2026 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0-226/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

3.मु0अ0सं0-142/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

4.मु0अ0सं0-26/24 धारा 8/,21,29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

5.मु0अ0सं0-71/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

6.मु0अ0सं0-06/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फरीद उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-80/2026 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0-145/21 धारा 379,411 भादवि थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

अभियुक्त समसुद्दीन उपरोक्त

1.मु0अ0सं0-80/2026 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0-170/21 धारा 3/5 उ0प्र0 तार एंव विधुत ट्रान्फार्मर चोरी अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

3.मु0अ0सं0-179/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1.उ0नि0 श्री विष्णु शर्मा थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

2.मु0आ0 455 विनय पंवार थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

3.का0 1140 अंकित कुमार थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

4.का0 1107 सुधीर कुमार थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नूरपुर **दिनांक 15.08.2026**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 284/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.08.2026 को वादी श्री नितिश अहलावत निवासी विकास कालोनी फतेहाबाद रोड नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्पलेन्डर मोटरसाइकिल सं0 UP20 S 1634 चोरी कर ली गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त नानू उर्फ शौर्य चौहान पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.08.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त नानू उर्फ शौर्य चौहान पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सं0 UP20 S 1634 सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नानू उर्फ शौर्य चौहान पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक स्पलेन्डर मोटरसाइकिल रजि0 सं0 UP 20 S 1634

आपराधिक इतिहास अभि0 हनीफ-

1.मु0अ0सं0 284/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर
2.मु0अ0सं0 245/23 धारा 120-B, 380, 411, 414 भादवि. थाना नूरपुर बिजनौर
3.मु0अ0सं0 369/25 धारा 305(a), 317(2), 331(3), 61(2) बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर
4.मु0अ0सं0 143/26 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ.नि. श्री यशवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.हे.का. 570 अनिल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3. का0 2027 विपुल यादव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4. का0 2558 अजय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन्स, दिनॉक 15.08.2026

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनांक 15 अगस्त 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य और गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यालय के निर्देशानुसार सामूहिक वंदेमातरम गीत के गायन के साथ हुई। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। इस विशेष अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के कर–कमलों द्वारा पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यूपी–112 मुख्यालय द्वारा जनपद बिजनौर के यूपी–112 कर्मचारियों के लिए भेजे गए प्रशस्ति पत्र उन्हें प्रदान किए गए। इसके साथ ही जनपद के अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास को साझा करते हुए कार्यक्रम के अंत में सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिष्ठान वितरित किया गया।

इस गौरवमयी समारोह में मुख्य रूप से श्री गौतम राय, पुलिस अधीक्षक (लाइन), डॉ0 कृष्ण गोपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (नगर), श्री अभय कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी (नगर/लाइन्स), श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक (पुलिस लाइन्स, बिजनौर) एवं भारी संख्या में अधिकारीगण में पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे एवं सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन्स बिजनौर में वृक्षारोपण भी किया गया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 15.08.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 639/2026 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.08.2026 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.आरक्षी दीपक कुमार नि0 रिजर्व पुलिस लाईन बिजनौर, 2.मोहन सैनी पुत्र नैपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम रसूलपुर पित्तनका उर्फ बवनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा धोखाधड़ी कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए वादिया के पिता से वादिया की सरकारी नौकरी लगवाने के बहाने से 09 लाख रूपये ले लिये गए। प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 639/2026 धारा 318(4) बी0एन0एस0 व धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 बनाम दीपक कुमार व मोहन सैनी पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1. दीपक पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम ऐतमादपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर व 2.मोहन सैनी पुत्र नैपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम रसुलपुर पित्तनका उर्फ बवनपुरा थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहन सैनी की निशांदेही पर उसके हिस्से में आये दो लाख रुपये बरामद किये गये तथा करीब 04 लाख रूपये दीपक उपरोक्त के बैंक खाते में फ्रीज कराये गए। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.मोहन सैनी पुत्र नैपाल सिंह सैनी नि0 ग्राम रसुलपुर पित्तनका उर्फ बवनपुरा थाना को0 शहर बिजनौर

2.दीपक पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम ऐतमादपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर हाल तैनाती रिजर्व पुलिस लाईन बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

02 लाख रुपये नगद (अभियुक्त मौहन सैनी की निशांदेही पर बरामद)

करीब 04 लाख रूपये (अभियुक्त दीपक के खाते मे फ्रीज कराये गए)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री शेखर कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

3. का0 1491 संदीप थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

4. का0 1779 मंजीत थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

5.का0 2061 संदीप थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नजीबाबाद **दिनांक 15.08.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में अवैध शस्त्र व पशुवध के उपकरणों सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण एव कार्यवाही-

दिनांक 15.08.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति ग्राम समीपुर के जंगल की ओर आने वाले हैं, जो गोकशी की घटना कारित करने की फिराक में हैं।

उक्त सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा ग्राम समीपुर के जंगल स्थित रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग रात्रि में एक मोटरसाइकिल (UP20AX6794) पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा दुसरा अभियुक्त अधेंरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम फरमान पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला कुरैशियान, कस्बा जलालाबाद, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा पशुवध से संबंधित उपकरण बरामद किए गए। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 401/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त **फरमान** द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी के साथ आवारा गौवंशीय पशुओं को पकड़कर जंगल में ले जाकर उनका वध कर मांस आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं। आज भी दोनों इसी उद्देश्य से घूम रहे थे। पुलिस को देखकर हमने मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया, लेकिन गीली मिट्टी के कारण मोटरसाइकिल फिसलने से मै व मेरा साथी दोनों गिर गए। पुलिस को पास आता देखकर फरमान का साथी जंगल की ओर भाग गया तथा अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसने कुछ समय पूर्व देहरादून में एक अज्ञात व्यक्ति से **315 बोर का तमंचा व कारतूस** खरीदे थे, जिन्हें वह जंगल में घूमने के दौरान अपने पास रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फरमान पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-468/2011 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-722/2016 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0-362/2017 धारा 307/420/468/411/34 भादवि व 41/42 वन अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0स0-363/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5. मु0अ0स0-911/2017 धारा 269/278 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर, स्थिति- दोषसिद्ध दिनांक 27.06.2023।

6.मु0अ0स0-966/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

7.मु0अ0स0-980/2017 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

8.मु0अ0स0-005/2018 धारा 269/278 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

9.मु0अ0स0-216/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

10.मु0अ0स0-494/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

11.मु0अ0स0-0011/2020 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

12.मु0अ0स0-74/2020 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

13.मु0अ0स0-75/2020 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

14.मु0अ0स0-400/2020 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

15.मु0अ0स0-194/2021 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

16.मु0अ0स0-45/2023 धारा 380/411/429 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

17.मु0अ0स0-195/2023 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

18.मु0अ0स0-413/2023 धारा 380 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

19.मु0अ0स0-535/2023 धारा 379 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

20.मु0अ0स0-430/2024 धारा 109(1) बीएनएसएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

21.मु0अ0स0-65/2025 धारा 2(बी)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

22. मु0अ0सं0 401/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1.01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर,

2.एक सुपर स्पलैण्डर बाइक रजि0न0-UP20AX6794(घटना में प्रयुक्त)

3.पशुवध के उपकरण(एक प्लास्टिक के थैले में 01 रस्सा, 02 छुरी व 01 चापड)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.हे0का0 653 विजयपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5.हे0का0 484 राहुल वेदवान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6.का0 1580 ललित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7.रि0का0 2743 हिमांशु थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनांक 15.08.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 344/26 धारा 317(2) / 336(3) /337 /338 /340 (2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.06.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा डम्बलपुरी फाटक, नहटौर रोड पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों 1. मनोज त्यागी पुत्र अनन्त राम निवासी ग्राम मिर्जापुर बकैना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर तथा 2. तफसीर खान पुत्र लाल खान निवासी सलारपुर खालसा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को चोरी की दो मोटरसाइकिलो सहित गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 317(2), 336(3), 337, 338, 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 19.07.2026 को अभियोग से संबंधित अभियुक्त हिमांशु पुत्र नरदेव निवासी ग्राम मिर्जापुर बकैना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अभियुक्तों से की गई पूछताछ के दौरान अभियुक्त हनीफ पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम तालिबपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त हनीफ पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम तालिबपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हनीफ पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम तालिबपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 हनीफ-

1.मु0अ0स0 397/08 धारा 307 भादवि0 थाना कवि नगर गाजियाबाद।
2.मु0अ0स0 398/08 धारा 25(ए) भादवि0 थाना कवि नगर गाजियाबाद।
3.मु0अ0स0 398/08 धारा 8/15 एऩडीपीएस थाना कवि नगर गाजियाबाद।
4.मु0अ0स0 297/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना खोडा गाजियाबाद।
5.मु0अ0स0 344/26 धारा 317(2) / 336(3) /337 /338 /340 (2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अब्दुल कादिर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 2048 इंसाद खान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।